# न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

**अपील(सू.का.अ)संख्या 67/2023** बउनवानी धनलक्ष्मी उर्फ सुनीता बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार पत्नि श्री कमल किशोर उर्फ कमलेश मथुरिया, नि. एफ.22,किरण बिहार त्रिवेणी नगर गोपालपुरा बाईपास जयपुर
GCMS No-2023/136

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज |
|---|---|
| 7.11.2023 | पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपजिला कलेक्टर) खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। |

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपजिला कलेक्टर) खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 2.9.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपजिला कलेक्टर) खण्डार के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. श्रीमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी जयपुर द्वारा पत्रांक 9(3)(3)निर्वा./2019/3937 दिनांक 23.8.2023 मे उपजिला कलेक्टर खण्डार द्वारा वर्ष 2003 की मतदाता सूची पूर्व में देना बताया जो किस नाम ओर पता की मतदाता सूची दी की स्पष्ट सूचना दी जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपजिला कलेक्टर) खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपजिला कलेक्टर) खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपजिला कलेक्टर) खण्डार के जवाब नोटिस क्रमांक/सूकाअ/2023/938 दिनांक 27.10.2023 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 2.9.2023 मे चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक/अस्पष्ट होने के कारण जरिये पत्रांक 825 दिनांक 22.9.2023 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 2.9.2023 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपजिला कलेक्टर) खण्डार द्वारा यह कहते हुए उपलब्ध नही करवायी गयी है कि चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण उपलब्ध नही करवायी जा सकती है जबकि अपीलान्ट द्वारा यह जानकारी चाही गयी है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपजिला कलेक्टर) खण्डार द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान जयपुर को भिजवाये गये जवाब मे यह अंकित किया है कि वर्ष 2003 की मतदाता सूची पूर्व में अपीलान्ट को दी जा चुकी है। इसलिए अपीलान्ट यह जानना चाहती है कि उक्तानुसार उपलब्ध करवायी गयी वर्ष 2003 की मतदाता सूची किस नाम ओर पता की अपीलान्ट को दी गयी है। इसलिए यह कोई प्रश्नात्मक सूचना नही है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र दिनांक 23.8.2023 मे अंकितानुसार यदि आप द्वारा अपीलान्ट को वर्ष 2003 पूर्व मे मतदाता सूची उपलब्ध करवायी गयी है तो अपीलान्ट को 15 मे दिवस मे यह स्पष्ट करावे कि किस नाम की एवं किस पते (गावं/कस्बे का नाम) की मतदाता सूची अपीलान्ट को दी गयी है। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाकर पत्रावली कार्यालय शुमार होकर [illegible] से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:52:49 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner